न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

आदेश

वाद सं0 एम0– 38/2023–24
धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता

प्रथम पक्ष.......... सुभाष मुण्डा ....
बनाम
द्वितीय पक्ष .... गोवर्धन गोप .... वगैरह

2.7.23 वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं० 06/2023 दिनांक 14.04.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** 1. सुभाष मुण्डा, उम्र 52 वर्ष, पे० स्व0 बाईला मुण्डा, सा० – पारही थाना कामडारा, जिला गुमला बनाम **द्वितीय पक्ष** 1. गोवर्धन गापे, उम्र 38 वर्ष, 2. बलराम गोप उम्र 30 वर्ष दोनों के पिता विश्वानाथ गोप 3.सोमनाथ गोप उम्र 57 वर्ष 4. देवचंद गोप उम्र 52 वर्ष 5. डुडु गोप उम्र 47 वर्ष 6. बहुरा गोप उम्र 45 वर्ष चारों के पिता स्व0 जानु गोप 7. सुरेश गोप उम्र 45 वर्ष 8. धर्मेन्द्र गोप उम्र 41 वर्ष दोनों क पिता स्व0 फिकिर गोप 11. दिलेश्वर गोप उम्र 8 वर्ष पिता स्व0 पिताम्बर गोप 12. पुसा मुण्डा उम्र 25 वर्ष पिता बुधु मुण्डा 13 बुधु मुण्डा उम्र 48 वर्ष पिता स्व0 सुखराम मुण्डा सभी साकिन पारही थाना कामडारा जिला गुमला के बीच मौजा पारही के खाता सं० 60, प्लॉट सं० 676, रकबा 0.03 एकड़ है। भूमि की चौहदी उत्तर में बुधु मुण्डा का मिट्टी का खपड़ा का मकान, दक्षिण में पारही धसापुर पक्की सड़क, पुरब में गुजु मुण्डा पे0 स्व0 चम्पा मुण्डा का मिट्टी खपड़ा का मकान, पश्चिम में कच्ची रास्ता जो गॉव के तरफ जाती है का मन्दिर बनाने को लेकर विवाद एवं तनाव है। फलस्वरूप उभय पक्षों के द्वारा अशांति फैलाने की सम्भावना है। थाना प्रभारी कामडारा के प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है।

प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एंव दाखिल कागजात :–

प्रथम पक्ष नोटिस प्राप्त कर अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि प्रथम पक्ष के विरूद्ध में धारा 144 द० प्र० सं० के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की गयी है न्याय संगत नहीं है। मौजा पारही थाना कामडारा जिला– गुमला के विवादित जमीन खाता नं०– 60 प्लॉट नं०– 676 रकबा 0.37 डी० किस्म जमीन गैमजरूआ आम, रास्ता पर मन्दिर का निर्माण किया जा रहा है और प्रथम पक्ष की खतियानी जमीन है जो आर0एस0 रिकार्ड ऑफराईट में बाईला मुण्डा पिता गोमेआ मुण्डा के नाम कायमी दर्ज है। प्रथम पक्ष के पूर्वज और वर्तमान में प्रथम पक्ष शांतिपूर्वक दखलकार एवं काबिज है । प्रथम पक्ष धारा 144 द0 प्र0 स0 की कार्यवाही प्रथम पक्ष के हित में विलोपित करते हुए द्वितीय पक्ष के सदस्यों के विरूद्ध स्थिर करने का अनुरोध किया गया है।

प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 खतियान की छायाप्रति।
2. रसीद की छायाप्रति।

द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एवं दाखिल कागजात :–

द्वितीय पक्ष नोटिस प्राप्त कर अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि प्रथम पक्ष के आवेदन पर कामडारा थाना अप्राथमिकी संख्या 06/2023 के प्रतिवेदन के आधार पर उभय पक्षों के बीच यह मुकदमा लाया गया है जो द्वितीय पक्ष पर चलने योग्य नहीं है। द्वितीय पक्ष के सदस्य सीधे–साधे सामाजिक व्यक्ति है जो कानून का पालन करने वाले है अतः द्वितीय पक्ष शान्ति प्रिये व्यक्ति है द्वितीय पक्ष से शान्ति भंग होने की संभावना नहीं है।

अंचल अधिकारी, कामडारा के जाँच प्रतिवेदन में राजस्व उप निरीक्षक, अंचल अमीन एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा स्थलीय जाँच एवं राजस्व कागजातों के आधार पर मौजा पारही खाता सं0 108 प्लॉट 555 रकबा 2.01 ए0 किस्म जमीन–गैरमजरूआ आम पर मन्दिर का निर्माण किया जा रहा है।

आदेश

वाद्गत भूमि थाना कामडारा मौजा पारही के खाता नं०– 60 प्लॉट नं०– 676 रकबा 0.37 डी० जमीन से संबंधित है। जाँच प्रतिवेदन मौजा पारही खाता सं0 108 प्लॉट 555 रकबा 2.01 ए0 किस्म जमीन–गैरमजरूआ आम पर मन्दिर का निर्माण किया जा रहा है। वादगत भूमि में समयावधी बीत जाने के कारण वाद की कार्यवाही बिना गुण–दोष के समाप्त की जाती है। वर्तमान में वादग्त भूमि को लेकर शांति भंग होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2023.11.28 16:25:01 +05:30
Location: 192.168.0.26